

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्रांक-सी-०५/लेखा/आर्थिक चिट्ठा/2020-21

दिनांक- ०४-०५.२०२०

समस्त वरि0/शाखा प्रबंधक,
उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

विषय- 31 मार्च-2020 का आर्थिक चिट्ठा तैयार करने के संबंध में।

प्रधान कार्यालय के परिपत्र सं0-62/लेखा/2019-20 दिनांक-22.01.2020 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 का आर्थिक चिट्ठा एवं लाभ हानि खाता तैयार करने सम्बंधी निर्देश एवं समय सारिणी प्रेषित की गई है। COVID-19 वैश्विक महामारी में देश व्यापी LOCKDOWN के कारण रामरत कार्य बाधित हो गये हैं। यद्यपि, प्रदेश के अधिकांश जनपदों में रीमिट कर्मचारियों के साथ बैंक की शाखाओं ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार एवं सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन किया जाना भी अत्यावश्यक है।

वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत वर्ष 2019-20 का आर्थिक चिट्ठा एवं लाभ-हानि खाता तैयार करने सम्बंधी अवशेष कार्य भी पूर्ण किया जाना है। उक्त परिपत्र के बिन्दु संख्या-11 में मण्डलीय टीम के गठन किये जाने तथा दिन्दु संख्या-12 में शाखा स्तर पर लेखांकन का कार्य एवं अन्य कार्यों में किसी भी समस्या उत्पन्न होने पर प्रधान कार्यालय को अवगत करने के निर्देश दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त परिशिष्ट-क पर उल्लिखित विवरण पत्रों को तैयार करने के निर्देश गये हैं।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में लोन आउटस्टैडिंग के विवरण-पत्र में ऋणी कृपकों के खाते में आउटर कालम में लगाये गये ब्याज का अंकन पूर्ववत् किया जायेगा। इसके साथ ही क्षेत्रीय कार्यालयों का आर्थिक चिट्ठा एवं लाभ हानि खाता भी तैयार किया जायेगा। अग्रेतर, 31 मार्च-2020 का संतुलन पत्र एवं लाभ हानि-खाता तैयार करने सम्बन्धी विरत्तुल दिशा-निर्देश इस आशय के साथ संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं कि इनका भली भांति अध्ययन कर हिया जाय तथा इन्हें आर्थिक चिट्ठा तैयार करने सम्बन्धी स्थायी अभिलेखों के रूप । शाखा पर सुरक्षित रखा जाये।

अतः, आपको निर्देशित किया जाता है कि शाखा रत्तर पर आर्थिक विठ्ठा एवं लाभ-हानि खाता से राग्वन्धित समस्त विवरण पत्रों के साथ ही २५ मार्च-२०२० का तलपट तैयार कर लिया जाय। प्रधान कार्यालय रत्तर से **Branches General** एवं **Compilation Sheet** प्रेषित करें। समय मण्डलीय शाखा में सन्तुलन पत्र का मिलान करने एवं जमा करने के साथ ही प्र० का० में मण्डलीय टीम द्वारा सन्तुलन पत्र जमा करने सम्बन्धी तिथिवार कार्यक्रम की सूचना भी कर प्रेषित कर दी जायेगी। अन्य निर्देश पूर्ववत् रहेंगे।

संलग्नक— उक्तानुसार।

(शैल कुमारी)
महाप्रबंधक(लेखा)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषितः—

1. समरत क्षेत्रीय प्रबंधक,उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि�०,उत्तार प्रदेश को उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु।
2. प्रबंधक (आई०टी०सेल)उ०प्र०सहकारी ग्राम विकास बैंक लि�०,प्रधान कार्यालय लखनऊ को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करने हेतु।
3. प्राचार्य,(प्रशिक्षण)उ०प्र०सहकारी ग्राम विकास बैंक लि�०,प्रशिक्षण केन्द्र लखनऊ।

(शैल कुमारी)
महाप्रबंधक(लेखा)

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

**31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष का आर्थिक विट्ठा
(बैलेन्स शीट) व लाभ-हानि खाता तैयार करने के सम्बन्ध में निर्देशिका**

पूँजी एवं दायित्व पक्ष

1.(क) शेयर कैपिटल

शेयर कैपिटल का पूर्ण विवरण अनुलग्नक (एनेक्जर-डी) में भग जाना चाहिये। इस वात का पूरा ध्यान रखा जाय कि 31 मार्च-2020 तक जिन सदस्यों का ऋण स्वाकृत हो चुका है, उनका शेयर की धनराशि शेयर अग्रिम खाते से शेयर कैपिटल खाते में हस्तान्तरित हो जाय। बैलेन्सशीट में शेयर कैपिटल के कालम में पूर्ण चुकता (Fully paid up) तथा आंशिक चुकता (Partly paid up) अंश का विवरण अवश्य दिया जाय। साथ ही **रु 100/- एवं रु 20/-** मूल्य के अंशों को इनर कालम में **पृथक- पृथक दर्शाया जाये।** वर्ष में जमा एवं समायोजित शेयर का भी पूर्ण विवरण संलग्न होना आवश्यक है। **नाम मात्र सदस्यों से प्राप्त प्रवेश शुल्क** को प्रधान कार्यालय के जनरल खाते को केडिट करते हुये बैलेन्स शीट बनाने से पूर्व द्रान्सफर कर दें।

(ख) शेयर कैपिटल, प्रवेश शुल्क, प्रशासकीय शुल्क की एडवार्स धनराशि, जिसका समायोजन अभी तक नहीं हुआ है, का विवरण (एनेक्जर डी-ए) में तैयार किया जाना चाहिये। पुरानी लम्बित एडवार्स धनराशि का यथासम्भव निस्तारण सुनिश्चित किया जाय।

2. रिस्कफण्ड(Risk Fund)

रिस्कफण्ड की धनराशि बैलेन्सशीट में दायित्व के पक्ष में दर्शाई जायेगी। यह शाखा स्तरीय फण्ड है जिसे डी0आर0डी0ए0 को वापस किये जाने का प्राविधान नहीं है। रिस्कफण्ड का उपयोग केवल आई0आर0डी0 योजनान्तर्गत वितरित ऐसे ऋणों, जिनका बगूला होने की कोई सम्भावना नहीं है, में समायोजन करते हुये अपलिखित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में प्र0का0 से विस्तृत दिशा निर्देश प्राप्त करने के उपरान्त ही प्र0का0 के सामान्य खाते में हस्तान्तरित की जायेगी। यदि किसी शाखा द्वारा इन निर्देशों के पूर्व कोई लेखा प्रविष्टि पारित की गई है तो उसकी विपरीत लेखा प्रविष्टि पारित कर ली जाये।

3 (अ) सावधि जमा (Fixed Deposit)

सावधि जमा धनराशि बैलेन्सशीट के दायित्व पक्ष में फिक्स्ड डिपान्शिट ऑर्पक में दिखाया जायेगा। दर्शाई जाने वाली धनराशि का विवरण-पत्र प्रारूप नं0-1 पर दिया जाय।

(ब) सावधि जमा पर देय व्याज(Interest payable on Fixed Deposit)

सावधि जमा पर देय व्याज का प्राविधान कर लिया जाय अर्थात् जमा तिथि या पिछली व्याज भुगतान की तिथि, जैसी भी स्थिति हो, से दिनांक 31.03.2020 तक का व्याज निकालकर निम्न लेखा पारित कर लिया जाय:-

Interest Paid A/c..... Dr.

To Interest Payable on Fixed Deposit A/c

Interest Paid A/c की अवशेष धनराशि की जाम-हानि खाते के डेविट पक्ष में तथा Interest Payable A/c के अवशेष को बैलेन्सशीट के दायित्व पक्ष में दिखाया जायेगा। दिनांक 31.03.2020 को देय व्याज का विवरण संलग्न प्रारूप-2 पर जमाकर्तावार वगाकर बैलेन्स शीट के साथ प्रस्तुत करें। 01,अप्रैल, 2020 को उक्त लेखा प्रविष्टि को गिर्दस कर दिया जाय एवं वार्ताविक व्याज का भुगतान एवं Fixed Deposit की परिपक्वता तिथि (Maturity Date) पर व्याज का भुगतान, व्याज भुगतान खाते (Interest Paid) को डेविट करने हुये किया जाय।

4. विविध जमा (Sundry Deposit तथा Subsidy Deposit) (बैंक एण्ड साब्सिडी, एस0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत तथा ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट की सब्सिडी को छोड़कर)

नवीन लेखा प्रणाली में विविध जमा की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है। पूर्व में जमा सन्दी डिपाजिट का यथा-समय समायोजन कर दे तथा उसके बाद के अवशेष का सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान कर दिया जाय। शासन से प्राप्त असमायोजित अनुदान की धनराशि जो सदस्यों के क्रण में समायोजन के लिए जमा रहती है, का समायोजन प्र०का० द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप किया जाय। अवशेष सन्दी डिपाजिट एवं सब्सिडी डिपाजिट का विवरण प्रारूप नं०-३ व ४ पर तैयार कर सन्तुलन पत्र के साथ संलग्न किया जायेगा।

5. ग्रामीण ऋणपत्रों पर देय ब्याज(Inst. payable on Rural Debenture)

31 मार्च-2020 को यदि किसी व्यक्ति को ग्रामीण ऋणपत्रों पर ब्याज का भुगतान करना शेष रह गया है तो यह ब्याज इस खाते में दिखाया जायेगा तथा बैलेंसर्शाट में दायित्व पक्ष के अलग शीर्ष में दिखाया जायेगा, साथ ही इसका पूर्ण विवरण प्रारूप नं० ५ पर बनाकर संलग्न किया जायेगा।

6. कैश क्रेडिट/ओवर ड्राफ्ट(Cash Credit/ Overdraft)

यदि किसी शाखा कार्यालय में 31 मार्च-2020 को ओवर ड्राफ्ट है तो वह दायित्व पक्ष में इस शीर्षक के अन्तर्गत दिखाया जायेगा तथा बैंक का प्रमाण-पत्र एवं समाधान विवरण-पत्र भी बैलेंसर्शाट के साथ संलग्न किया जायेगा।

7. अदत्त व्ययों हेतु दायित्व(Outstanding Exp.)

पुगने लम्बित समरत अदत्त व्ययों का यथा सम्भव भुगतान कर दिया जाय। फिर भी जिन व्ययों का भुगतान 31, मार्च-2020 तक नहीं किया जा सका है और वे खर्चों वर्ष 2019-20 या उसके पूर्व के वर्षों से सम्बन्धित हैं, ऐसे खर्चों का प्राविधान उसी वर्ष के लाभ-हानि खाते एवं बैलेंसर्शाट में करना चाहिये। ऐसे खर्चों का प्राविधान करते समय पूर्ण विवरण लिखा जाना चाहिये। ऐसे सभी खर्चों का विवरण अनुलग्नक-वी में भरा होना चाहिये। ऐसे खर्चों का प्राविधान निम्न लिखित जनरल लेखा द्वारा किया जायेगा:-

T.A / Salary/ Rent/ etc. A/c.....Dr.

To Outstanding Exp. A/c

आगामी वर्ष में अदत्त व्ययों की धनराशि का भुगतान करते समय अदत्त व्यय खाता को डेबिट करते हुये भुगतान किया जायेगा।

8. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधि, कर्मचारी प्रतिभूति, लिंकड इन्श्योरेंस/पेंशन स्कीम, कर्मचारी कल्याण-कोष, भविष्य निर्वाह निधि अग्रिम एवं स्वैच्छिक अंशदान

कर्मचारी भविष्य निधि, भविष्य निर्वाह निधि वापर्सा, भविष्य निर्वाह निधि र्हैच्छिक अंशदान, कर्मचारी प्रतिभूति, लिंकड इन्श्योरेंस/पेंशन स्कीम, कर्मचारी कल्याण कोष के खाते में जमा धनराशियाँ 31.03.2020 को प्रधान कार्यालय के सामान्य खाते को क्रेंडिट करते हुये ट्रांसफर की जायेंगी तथा इनके वार्षिक विवरण-पत्र प्रधान कार्यालय के परिपत्र संख्या: सी-73/भ०नि०नि०/2019-20, दिनांक 14.02.2020 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर अलग-अलग बनाकर प्रेषित किये जायेंगे। इस सन्दर्भ में निम्नलिखित निर्देश को ध्यान में रखा जाय:-

(क) कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी प्रतिभूति की धनराशि पर शाखा स्तर पर न तो व्याज लगाया जायेगा और न ही और कोई प्राविधान किया जायेगा। विवरण-पत्र तैयार करते समय यह पुष्टि कर ली जाय कि विवरण-पत्र में दर्शाई गई धनराशि वर्णी है, जो हस्तान्तरित की जा रही है।

(ख) सभी विवरण-पत्रों में कर्मचारी का नाम, पिता का नाम, एवं तथा भविष्य निधि खाता संख्या एवं स्थानान्तरण की स्थिति में कार्यालय का नाम जहाँ से स्थानान्तरित होकर आये हैं, उस कार्यालय का नाम अवश्य अंकित किया जाय, ताकि कर्मचारियों के व्यक्तिगत खाते में इस धनराशि की सही प्रविष्टि हो सके।

(ग) वर्ष के दौरान कर्मचारियों को उनके भविष्य निधि से दिये गये अग्रिम का वापरा के रूप में उनके वेतन से कार्टी गई धनराशि का लेखा ₹०पी०एफ० लोन शीर्षक में किया जायेगा और 31, मार्च-2020 को इस शीर्षक की समस्त धनराशि प्रधान कार्यालय के सामान्य खाते को क्रेडिट करते हुये ट्रान्सफर कर दी जायेगी तथा इसका कर्मचारीवार तथा माहवार पूर्ण विवरण-पत्र बनाकर वैलोन्सशीट के साथ संलग्न किया जायेगा।

9. ग्रामीण ऋणपत्रों का अन्तिम भुगतान(Rural Debenture)

ग्रामीण ऋणपत्रों का जो धन देय तिथि समाप्त होने के बाद वापस होना है, वह इस शीर्षक के अन्तर्गत दिखाया जायेगा। इसके अन्तर्गत केवल मूलधन ही दिखाया जायेगा। व्याज को, व्याज शीर्षक के अन्तर्गत दिखाया जाये और इसका सदस्यवार विवरण-पत्र प्रारूप संख्या-5 पर प्रमुख किया जाय।

10. डीलर्स जमानत खाता(Dealer's Security A/c)

डीलर्स से प्राप्त नकद जमा पर 3.5 प्रतिशत वार्षिक दर से व्याज का प्राविधान किया जायेगा एवं इसका विवरण-पत्र प्रारूप नं०-६ पर बनाया जायेगा। दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक का देय व्याज की धनराशि डीलर्स जमानत खाते में जोड़ दी जायेगा। इसकी लेखा प्रविष्टि निम्नवत की जायेगी:-

Interest Paid A/cDr.

To Dealer Security A/c

11- प्रधान कार्यालय ऋण खाता(HO Loan A/c)

इस खाते में शाखा द्वारा जो ऋण सदरयों को अब तक वितरित किया गया है, उसका पूरा योग होता है। लोन एडवांस रजिस्टर दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक तैयार किया जायेगा। प्रारम्भिक बार्की एवं वर्ष में वितरित समस्त प्रकार के ऋणों का कुल योग ही इस खाते की अन्तिम बार्की होगी। विगत वर्षों का वितरित ऋण खाते का चेक यदि निर्गम्त किया जाता है तो इसे इस शीर्ष से न घटा कर लगे हुए ऋण शीर्ष से घटाया जायेगा।

12- प्रधान कार्यालय सामान्य खाता(HO General A/c)

प्रधान कार्यालय सामान्य खाता की एक प्रति ABSTRACT के साथ संलग्न का जानी चाहिये ताकि प्रधान कार्यालय द्वारा उसका मिलान किया जा सके। 31, मार्च-2020 को यह अर्था तरह मिलान कर दिया जाये कि प्रधान कार्यालय में समय-समय पर ऋण वितरण हेतु प्राप्त धन, जिसकी प्रविष्टि इस खाते में की जाती है, में से वितरित ऋण की गणि के बगावर इस खाते से प्रधान कार्यालय के ऋण खाते में हस्तान्तरित की जायेगी। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाय कि वर्ष भर प्रधान कार्यालय के सामान्य खाते से लोन एकाउण्ट में जो रकम हस्तान्तरित की गई है, वह उतनी ही रहा है, जितना कुल ऋण वितरण हुआ है। अर्थात यह लोन एकाउण्ट रजिस्टर के योग के बगावर है।

13. देय लाभांश

ऐसा लाभांश जिसका भुगतान/समायोजन शेष है, को वैलेंस-शीट के दायित्व पक्ष में दिखाया जायेगा एवं उसकी मृच्छा वैलेंस-शीट के साथ संलग्न की जायेगी।

14. बैक एण्ड सब्सिडी लोन (SGSY) एकाउण्ट

SGSY योजना के अन्तर्गत प्राप्त सब्सिडी, जो इस शीर्षक के अन्तर्गत जमा है, जैसा कि परिपत्र संख्या: 209/लोन/96-97, दिनांक 22.11.1996 द्वारा निर्देशित है, 31 मार्च-2020 को उक्त शीर्षक के अन्तर्गत प्राप्त सब्सिडी वैलेंसशीट के दायित्व पक्ष में इस शीर्षक के अन्तर्गत दिखाया जायेगा। प्रारूप नं 07 पर विवरण-पत्र बनाकर वैलेंसशीट के साथ संलग्न किया जायेगा।

15. ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट(OFWM) सब्सिडी लोन एकाउण्ट

इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त सब्सिडी, जो इस शीर्षक के अन्तर्गत जमा है, जैसा कि परिपत्र संख्या: भा-27/परियोजना-2/2002-03, दिनांक 4.9.2002 द्वारा निर्देशित है, 31 मार्च-2020 को उक्त शीर्षक के अन्तर्गत प्राप्त सब्सिडी वैलेंसशीट के दायित्व पक्ष में इस शीर्षक के अन्तर्गत दिखाई जायेगी। प्रारूप संख्या-11 पर विवरण पत्र बनाकर वैलेंसशीट के साथ संलग्न किया जायेगा।

16. आई0एन0सी0 खाता

नवीन लेखा पद्धति के अनुसार इस खाते का क्रेडिट अवशेष को सन्तुलन पत्र के दायित्व पक्ष में इस शीर्ष के अन्तर्गत दर्शित किया जायेगा। इस शीर्ष के अन्तर्गत अर्थात् धनराशि, आई0एन0सी0 गजिस्टर के अवशेष के योग के अनुसार होगी। इसका विवरण संलग्न प्रारूप संख्या सी-2 पर (पृष्ठवार योग) प्रेषित किया जायेगा।

(धनराशि लाख में)

क्रमांक	क्रमांक संख्या	खाता	प्रारम्भिक वर्ष में दर्दि	वर्ष में समायोजन	उत्तम अवशेष
का नाम	संख्या	अवशेष			(4+5-6)
1	2	3	4	5	6

(सम्पत्ति एवं पावना अगले पृष्ठ पर है)

सम्पत्ति एवं पावना पक्ष

(1) रोकड़ तथा पोर्सेज की बाकी

31 मार्च-2020 को रोकड़ तथा पोर्सेज की बाकी के सत्यापन का प्रमाण-पत्र, शाखा प्रबन्धक निम्नलिखित प्रारूप पर देंगे:-

“प्रमाणित किया जाता है कि रोकड़/पोर्सेज बाकी (धनराशि शब्दों में तथा अंकों में).

.....का सत्यापन
31,मार्च-2020 को मैंने गिनकर किया तथा सही पाया/यह बाकी रोकड़/पोर्सेज बाकी रजिस्टर के 31 मार्च-2020 की बाकी से मिलता है।”

हस्ताक्षर: आंकिक

हस्ताक्षर: शाखा प्रबन्धक

(2) बैंक बाकी (BANK BALANCE)

बैंक को 31, मार्च-2020 को बैंक बाकी का प्रमाण-पत्र सम्बन्धित बैंक से प्राप्त कर अपने जनगत लेजर के खाते की बाकी से उसका मिलान करना चाहिये। यदि दोनों की बार्फी आपस में नहीं मिलती है तो बैंक समाधान विवरण-पत्र बनाकर समाधानित कर लिया जाय। बैंक समाधान विवरण-पत्र तथा बैंक बाकी के प्रमाण-पत्र को बैलेन्सशीट के साथ संलग्न किया जायेगा।

(3-अ) शुद्ध लगा हुआ ऋण(सामान्य) (Net Loan Outstanding)

(Back end Subsidy व OFWM को छोड़ कर)

31.3.2020 को लगे हुये ऋण(लोन आउटसर्विंग) की गणना तिग्नवत की जायेगी:-

(क) 01-04-2019 को लगा हुआ ऋण(अनुदान रहित)

जोड़िये:-

(अ) वर्ष में वितरित शुद्ध ऋण।

(ब) वर्ष के दौरान अर्जक(पी0पा0) खातों में लगाया व्याज।

(स) वर्ष के दौरान अनर्जक(एन0पी0पा0) खातों से वसूला गया व्याज(पेसल, अर्तिरिवत एवं अन्य व्यय)।/ऋण मार्फा/ऋण राहत/एक मुश्त समाधान योजनान्तर्गत समायोजित धनराशि।

(द) अन्य शाखाओं से (यदि कोई हो तो)हस्तांतरित होकर आया शुद्ध लगा हुआ ऋण (मूलधन एवं पूँजीकृत व्याज को अलग-2 दर्शाया जाय)।

(ख) योग(अ से द तक)

घटाइये:-

(अ) वर्ष के दौरान वसूला गया कुल ऋण(व्याज व अन्य व्यय सहित))/ऋण मार्फा/ऋण राहत/एक मुश्त समाधान योजनान्तर्गत समायोजित धनराशि को भी सम्मिलित करते हुए।

(ब) वसूली में खातों पर दी गयी एक प्रतिशत की रिवेट

- (स) अन्य शाखाओं को हस्तांतरित शुद्ध लगा हुआ ऋण (मूलधन एवं पूँजीकृत व्याज को अलग-2 दर्शाया जाय)।
- (द) गत वर्षों के निरस्त किये गये चेक।
- (ग) योग(अ से द तक)।
- (च) वर्षान्त शुद्ध लगा हुआ ऋण(क+ख-ग)

नोट:-

1. किसान क्रेडिट कार्ड(के0पी0पी0) खातों का अन्तिम अवशेष(यह कोई हो) को भी लोन आउटस्टैण्डिंग में सम्मिलित होगा।
2. वर्षान्त में शुद्ध लगे हुए ऋण को संतुलन पत्र में दर्शित करते समय 'इनर कॉलम' में एनेक्जर-सी में दर्शित लगा हुआ मूलधन एवं पूँजीकृत व्याज को अलग-2 दर्शाया जाय। साथ ही यह भी ध्यान रखा जाय कि वसूली अनुभाग को प्रेपिट एन0पी0प0 के प्रारूप में संसूचित मूलधन एवं संतुलन पत्र के इनर कॉलम में दर्शित मूलधन में भिन्नता न हो।

(3-ब)शुद्ध लगा हुआ ऋण(NBCEDCL (Net Loan Outstanding)

31.3.2020 को लगे हुये ऋण(लोन आउटस्टैण्डिंग) का गणना निम्नवत् की जायेगा:-

- (क) 01-04-2019 को लगा हुआ ऋण

जोड़िये:-

- (अ) वर्ष में वितरित शुद्ध ऋण।
- (ब) वर्ष के दौरान अर्जक(पी0प0) खातों में लगाए व्याज।
- (स) वर्ष के दौरान अनर्जक(एन0पी0प0) खातों से वसूला गया व्याज।प्रेपिट एनर्जक एवं अन्य व्यय)/ऋण माफी/ऋण राहत/एक मुश्त समाधान योजनान्तर्गत समार्थीकृत धनराशि।
- (ख) योग(अ से स तक)

घटाइये:-

- (अ) वर्ष के दौरान वसूला गया कुल ऋण का (व्याज व अन्य व्यय सहित) धनराशि।
- (ब) अर्जक खातों पर दी गयी एक प्रतिशत का रिवेट
- (स) गत वर्षों के निरस्त किये गये चेक।
- (ग) योग(अ से स तक)।
- (च) वर्षान्त शुद्ध लगा हुआ ऋण(क+ख-ग)

(4) बैक एण्ड सविस्डी ऋण

SGSY योजनान्तर्गत प्राप्त सविस्डी (बैक एण्ड) से जो ऋण वितरित किया गया है, उसका विवरण इस शीर्षक के अन्तर्गत दिखाया जायेगा, जैसा कि पार्श्व मंड्या: 206/नोन/1996-97, दिनांक 22.11.1996 द्वारा निर्देशित किया गया है कि इस प्रकार के ऋणों में संतुलन की धनराशि पर कृपकों से कोई व्याज नहीं लिया जाना है और अनुदान का समयोजन 'लॉकिंग पार्सिप्ट' समाप्त होने के बाद जमा सविस्डी से नियमानुसार किया जाना है। इसलिये इस शीर्षक के अन्तर्गत अनुदान ऋण दिखाया जायेगा एवं उसका विवरण बैलेन्सशीट के अन्तर्गत दर्शित किया जायेगा। जिस प्रकार लगे हुये ऋण (नेट आउटस्टैण्डिंग) का स्टेटमेन्ट एनेक्जर 'मी' पर तैयार किया जायेगा, उसी प्रकार प्रारूप '7' पर अलग से बैक एण्ड सविस्डी लोन का वर्किंग स्टेटमेन्ट भी तैयार किया जायेगा।

बैक एण्ड सर्विसडी पर प्राप्य व्याज का आकलन नहीं किया जायेगा। बैक एण्ड सर्विसडी ऋण का अन्तिम अवशेष आर्थिक चिट्ठे के बाहरी स्तम्भ में दर्शित किया जाना चाहिये:-

- (1) 01/04/2019 को लगा बैक एण्ड सर्विसडी ऋण.....
- (2) जोड़िये वर्ष में वितरित बैक एण्ड सर्विसडी ऋण.....
- (3) जोड़िये शाखाओं से हस्तान्तरित होकर आया/.....
लगा बैक एण्ड सर्विसडी ऋण
- (4) योग (1+2+3)
- (5) घटाइये बैक एण्ड सर्विसडी ऋण की वसूली.....
- (6) घटाइये शाखाओं को हस्तान्तरित होकर गया
बैक एण्ड सर्विसडी ऋण.....
- (7) बैक एण्ड सर्विसडी का अन्तिम अवशेष (4 - 5 - 6).....

(5) ऑन फार्म वाटर मैनेजमेन्ट सर्विसडी ऋण

On Farm Water Management for Increasing Crop Production योजनान्तर्गत प्राप्त सर्विसडी से जो ऋण वितरण किया गया है उसका विवरण इस शार्पक के अन्तर्गत दिखाया जायेगा। जैसा कि परियन्त्र संख्या:सी-27/परि0-2/2002-03, दिनांक 04.09.2002 द्वारा निर्देशित किया गया है। इस प्रकार के ऋणों में अनुदान का धनराश पर कृषकों में कोई व्याज नहीं लिया जाना है और इस ऋण का समायोजन वर्ष के “लॉकिंग प्रारियड” समाप्त होने के बाद जमा सर्विसडी से नियमानुसार किया जाना है। जैसा कि परियन्त्र में उल्लेख किया गया है-

1. 01.04.2019 को लगा ऑन फार्म वाटर मैनेजमेन्ट सर्विसडी ऋण
2. जोड़िये वर्ष में वितरित ऑन फार्म वाटर मैनेजमेन्ट सर्विसडी ऋण
3. जोड़िये शाखाओं से हस्तान्तरित होकर आया लगा ऑन फार्म वाटर मैनेजमेन्ट सर्विसडी ऋण
योग (1+2+3)
4. घटाइये ऑन फार्म वाटर मैनेजमेन्ट ऋण की वसूली
5. घटाइये शाखाओं को हस्तान्तरित होकर गया
ऑन फार्म वाटर मैनेजमेन्ट सर्विसडी ऋण
6. ऑन फार्म वाटर मैनेजमेन्ट सर्विसडी ऋण का अंतिम अवशेष(4-5-6)

(6) गल्ला खरीद/त्योहार/बाढ़/एवं अन्य अग्रिम

इस मद में कर्मचारियों/आर्थिकारियों का उक्त अग्रिम मद में 31.03.2020 का अवशेष दर्शित धनराश का विवरण पत्र पृथक से बनाकर अवश्य संलग्न किया जाय ।

(7) मांग वसूली विवरण-पत्र

वसूली विवरण पत्र निर्धारित प्रारूप पर पृव्वर्वत् 01 अप्रैल से 31 मार्च तक का बनाया जाये।

(8) मोटर कार/जीप

मण्डलीय शाखाओं में जो बैक की जीप/कार हैं, उन्हें डेढ़ स्टाक के मद में न दर्शा कर अलग से मोटर कार हेड में दर्शाया जायेगा तथा जनरल लेजर में मोटर कार का एक अलग से खाता खोला जायेगा। मोटर कार/जीप पर भी डेढ़ स्टाक की भाँति 15 प्रतिशत डायर लगाया जायेगा।

(9) डेड स्टॉक(Dead Stock)

प्रारुप-ई पर डेड स्टॉक का पूरा विवरण तैयार किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में प्र0का0 के परिपत्र संख्या सी-83/लेखा/18-19 दिनांक 08-01-19 द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार दृस की गणना की जायेगी। तदनुसार भवन सम्पत्ति पर 10 प्रतिशत, विद्युत संयंत्र पर 10 प्रतिशत, फर्नीचर फिटिंग पर 10 प्रतिशत, मर्शीनरी एवं प्लाण्ट पर 15 प्रतिशत, कम्प्यूटर पर 40 प्रतिशत तथा लाइब्रेरी किताबों पर 40 प्रतिशत दृस लगाया जायेगा।

(10) स्टेशनरी स्टॉक में(Stationary in Stock)

स्टेशनरी का पूरा विवरण प्रारुप संख्या-9 पर बनाकर बैलेन्स शीट के साथ संलग्न किया जाय। वर्ष के अन्त में शेष का योग सम्पत्ति पक्ष में दिखाये गये स्टेशनरी स्टॉक से मिलना चाहिये। वर्ष भर में जो उपभोग होगा, वहाँ लाभ-हानि खाते के Stationary Consumed के मद में दिखाया जायेगा।

(11) पूर्व दत्त व्यय (Prepaid Exp.)

यदि आगामी वर्षों (2019-20 या उससे आगे) की अवधि से सम्बन्धित किसी व्यय का भुगतान अग्रिम के रूप में कर दिया गया है, तो ऐसे व्यय की अनुपातिक गणि भी सम्पत्ति पक्ष में पूर्वदत्त व्यय के रूप में दिखाना चाहिये, आगामी वर्ष में सम्बन्धित व्यय को डेबिट करते हुए पूर्व दत्त व्यय खाते को क्रेडिट किया जायेगा। इसका पूर्ण विवरण अनुलग्नक-वा में बनाकर संलग्न किया जायेगा।

लाभ-हानि खाता अगले पृष्ठ पर है

लाभ-हानि खाता

1- बारोइंग कास्ट

पूर्व वर्षों की भौति इस वर्ष भी शाखाओं द्वारा वर्ष में अर्जित शुद्ध व्याज के $7/10$ अंश अर्थात् 70 प्रतिशत को प्रधान कार्यालय के सामान्य खाते में बारोइंग कास्ट के रूप में टक्सान्तरित किया जायेगा।

बारोइंग कास्ट हेतु अर्जित व्याज का आंकड़न निम्नवत् किया जायेगा:-

- (1) लाभ-हानि खाते के अनुमार वर्ष में क्रणों पर अर्जित कृत व्याज.....
(समरत समायोजनोपरान्त - (लेजर के अनुमार))
- (2) घटाइये -
- (क) वर्ष में क्रणी सदस्यों से बगूल किया गया आउटर कालम का पेनल व्याज.....
- (ख) वर्ष में क्रणी सदस्यों से बगूल किया गया आउटर कालम का अतिरिक्त व्याज (व्याज एवं मूलधन दोनों पर चार्ज किया गया)
- (ग) वर्ष में दी गयी एक प्रतिशत रिवेट व एकमुश्त समाधान रिवेट
- (घ) वर्ष में ईलर्म प्रतिभूति, ओवर ट्राफ्ट अथवा कैश कॉर्ड,
- सार्वाधिक जमा, ग्रामीण क्रणपत्रों पर व्याज, सन्दी डिपाजिट,
- सर्वाधी डिपाजिट या किर्मा अन्य नदों पर दिया गया व्याज
(इस समरत व्याज का योग व्याज भुगतान शीर्ष के अन्तर्गत
अन्तिम दो वर्षों होगा)।

योग :-

- (3) वर्ष में शुद्ध अर्जित व्याज (1-2)
- (4) बारोइंग कास्ट :- क्रमांक-03 का $7/10$

2 - लीव सैलरी एवं पेशनरी कण्ट्रीव्यूशन :-

लीव सैलरी एवं पेशनरी कण्ट्रीव्यूशन के लिये जर्ती शाखा प्रबंधक प्रतिनियुक्त पर कायरत सम्पादन अधिकारी हैं, वर्ती ₹0 2000.00 प्रतिसाह की दर में अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक की वर्ती अवधि का प्राविधान किया जायेगा।

Leave Salary & Pensionary Contribution A/cDr.

To H.O General A/c

लीव सैलरी तथा पेशनरी कण्ट्रीव्यूशन लाभ-हानि खाता के द्वानि पक्ष में वेतन में जोड़ दिया जायेगा तथा धनराशि की पुष्टि हेतु निम्न प्रारूप पर वैलेमर्शान के साथ मृच्छी मंलाल की जायेगी।

: प्रारूप ::

क्र0सं0	प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारी का नाम : अवधि	प्राविधान की धनराशि
---------	--	---------------------

1.

इसका योग वर्ती होगा जितने से प्रधान कार्यालय सामान्य सभा दोनों किया गया है।

3 - अर्जित व्याज :-

वर्ष 2019-20 के लाभ-हानि खाते में अर्जित व्याज की धनराशि वर्दी होगी जो समस्त समायोजन के उपरान्त जनरल लेजर में इस शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम क्रेडिट अवशेष होगा (अर्थात आई0एन0सी0, पेनल, अतिरिक्त व्याज व एन0पी0ए0 व्याज की वसूली होने पर इसकी भी अर्जित व्याज खाते में लेखा प्रविष्ट की जायेगा)। 30 सितम्बर व 31 मार्च को अर्जक खाते पर लगाया गया छःमार्दी व्याज की भी इसी शीर्ष के अन्तर्गत लेखा प्रविष्ट की जायेगा। ऐसे बैंक खाते जो अर्जक से अनंतक हो गये हों, पर लगाया गया व्याज, अर्जित व्याज खाते को डेबिट करते हुए आई0एन0सी0 खाते में क्रेडिट किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बैंक खाते पर प्राप्त व्याज, अनाज व त्योहार अग्रिम पर प्राप्त व्याज भी इसी शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया जायेगा।

4 - विज्ञापन व्यय -

इस शीर्ष के अन्तर्गत विज्ञापन पर किये गये व्यय दिखाये जायें। वसूली के संबंध में जो नोटिस समाचार-पत्रों में प्रकाशित की गयी है, उसका भी व्यय इस शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जायेगा। जिन शाखाओं में इस प्रकार के व्यय की विविध व्यय में दिखाया गया हो तो ऐसे व्यय को ट्रांसफर इण्ट्री द्वारा विविध खाते में दरसान्तरित करके विज्ञापन व्यय खाते में दिखायें। कृपकों से इस खंड के मद में जो वसूली की जाय उसे विविध आय में दिखाया जाय।

5 - विविध व्यय- विविध व्यय शीर्षक के अन्तर्गत हुए व्यय का मद्याग विवरण बनाकर मंत्रालय पत्र के साथ अवश्य मंलग्न किया जाय।

6 - जीप तथा पेट्रोल व्यय-

वसूली के लिये जीप एवं पेट्रोल पर जो व्यय किया जायेगा वर्दी व्यय इस मद में दिखाया जाय। जिन शाखाओं पर इसे विविध व्यय खाते में दिखाया गया हो तो वे उसे ट्रांसफर इण्ट्री द्वारा दरसान्तरित करके दिखायें। पहले आवेदन दिया जा चुका है कि नीलामी भे गंवारीन जीप का किसान तथा पेट्रोल व्यय के लिए निर्धारित धनराशि की वसूली काशतकार से की जायेगी। जीप एवं पेट्रोल के मद में जितना व्यय कृपकों से वसूल किया जाय उसे जीप एवं पेट्रोल व्यय खाते में क्रेडिट न करके अलग से विविध आय के अन्तर्गत दिखाया जाय।

7 - दैनिक मजदूरी व्यय-

यदि दैनिक मजदूरी पर रखे गये कर्मचारियों को पार्श्वर्थमिक दिया गया है तो उसे विविध व्यय में नहीं दिखाया जायेगा, बल्कि वेतन एवं भत्ते शीर्षक में दिखाया जाय। जिन शाखाओं में इन्हें विविध व अन्य किर्मी शीर्षक में दिखाया गया हो तो उसके ट्रांसफर इण्ट्री द्वारा ऐसे व्यय की मालान्तरित करके वेतन एवं भत्ते शीर्षक के अन्तर्गत दिखायें।

8 - कानूनी सलाहकारों का पारिश्रमिक एवं अन्य व्यय-

जिन शाखाओं का कोई विवाद न्यायालय में चल रहा है उन शाखाओं को इस प्रकार के सभी खबें (कानूनी मत्ताहकारों को परिस्थितिक, कोर्टफास आदि) उक्त शाखा के अन्तर्गत दिखाये जाय। इमे विविध व्यय में न दिखाय जाय।

9 - कर्मचारी भवन ऋण, मोटर साइकिल ऋण, कार ऋण, बोपेड ऋण के अन्तर्गत मोटर साइकिल ऋण एवं उपभोक्ता ऋण - जिन कर्मचारियों को उपरोक्त मद में ऋण दिया गया है तो उसकी लेखा प्रविधि प्र0का0 के भासान्य खाते के माध्यम से की जायेगा अर्थात् जब अग्रिम दिया गया है तो प्र0का0 के भासान्य खाते को डेविट किया जायेगा और उसकी कटौती से प्रत्येक माह प्र0का0 खाता डेविट किया जायेगा। कटौती का विवरण पत्र प्र0का0 के निर्देशानुसार प्रायः 'क' 'ख' व 'ग' पर बनाया जायेगा तथा विवरण पत्र का एक प्रति वैलेंसरीट के साथ मंलम्ब की जायेगा।

10- जनपद स्तरगति शायाओं पर जनपद के कार्य मन्दिलान हेतु नियुक्त कर्मचारी वैमे -टंक, मद्या0आंकिक,महयोगी पर किया गया व्यय (वेतन, बोनम, टी0पा0) एवं देलीफ्रेन पर किया यमरक्त व्यय निम्नलिखित जनरल प्रविष्टि द्वारा प्रोका0 स्थानान्तरित किया जायेगा।

HO General A/c Dr.
TO HO Reimbursement A/c

प्र०का० मे व्यय प्रतिपूर्ति लाभ-दानि खाते के आद पश मे अलग शीर्षक के अन्तर्गत दिखाया जायेगा एवं विवरण निम्न प्रारूप पर संलग्न किया जायेगा। ध्यान रहे कि वेतन व भत्ते शीर्षक के अन्तर्गत राशि मे उक्त व्यय घटाकर नहीं दर्शाया जाये।

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	धनराशि का विवरण	टेलीफोन व्यव
1	2	3	4
		वेतन एवं भत्ते, बोनस, टॉपगो	

11- जब्त किये जाने वाले लाभांश-

प्रधान कार्यालय के परिपत्र संख्या रा-249/लेक्टर/नामांश/2001 02 तिथि 02.03.2002 द्वारा वैक की उपविधि संख्या 15 के प्रग्नर-5(7) में निहित प्राविधान के पर्याप्तता में नामांश शोषण द्वारा की तिथि में लेकर 6 वर्ष तक अन्वय्याधित रहने पर वैक हित में मंचालक मठल द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसरण में लाभांश जब्त किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः परिपत्र के अनुसार लाभांश वोषित होने की नियम में 6 वर्ष की अवधि में अधिक समय तक लाभार्थी का खाता(न बन्द होने) बन्द हो जाने के कारण जिस लाभांश गणि या समायोजन मृत्युलान नहीं होता है तो उस लाभांश को प्रधान कार्यालय के सामान्य खाते को वैरिट करने हुए उपरोक्त परिपत्र में संलग्न निर्धारित प्रारूप पर विवरण अंकित करते हुए धनगणि हस्तान्वार्गत कर दें। जब लाभांश की लेखा प्रविष्टि निम्न प्रकार की जायेगी :

Dividend A/c Dr.
To HO General A/c

प्रधान कार्यालय को दरतान्तरित किये जाने वाला अगमायोजित लाभांश एक बार जब कर लेने की दशा में काश्तकार को पुनः लाभांश देय न होगा। इसमें यदि किसी प्रकार की वृद्धि होता है तो इसके लिये संयुक्त रूप से शाखा आंकिक व शाखा प्रबन्धक उत्तरदायी होंगे।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर आधिक चिट्ठा परं लाभ-दानि खाता तैयार करना सुनिश्चित करें।

(आर०पी०सिंह)
उप महाप्रबन्धक(लेखा)

बैलेन्सशीट के साथ संलग्न किये जाने वाले विवरण पत्रों की सूची

- 1- सार्वधि जमा विवरण पत्र। प्रारूप-1
- 2- सार्वधि जमा पर देय व्याज का विवरण पत्र। प्रारूप-2
- 3 व 4- विविध जमा(सण्डी डिपाजिट व सब्सिडी डिपाजिट)- (वैक एण्ड सब्सिडी, आई0आर0डी0 योजनान्तर्गत तथा आनफार्म वाटर मैनेजमेण्ट सब्सिडी व्हो एड्रेस) पर देय व्याज का विवरण पत्र। प्रारूप- 3 व 4
- 5- ग्रामीण ऋणपत्रों पर देय व्याज का विवरण पत्र। प्रारूप-5
- 6- डीलर्स जमानत पर देय व्याज का विवरण पत्र। प्रारूप-6
- 7- वैक एण्ड सब्सिडी विवरण पत्र। प्रारूप-7
- 8- ल्यौहार/वाट/अनाज एवं अन्य अग्रिमों का विवरण पत्र। प्रारूप-8
- 9- संदर्शनरी इन स्टाक का विवरण पत्र। प्रारूप-9
- 10- जनता दुर्घटना वामा योजना के अन्तर्गत कृपकों द्वारा प्राप्त प्राप्तियम की रिपोर्ट का विवरण पत्र। प्रारूप-10
- 11- आनफार्म वाटर मैनेजमेण्ट सब्सिडी ऋण का विवरण पत्र। प्रारूप-11
- 12- पूर्वदत्त व्यय का विवरण पत्र- अनुलग्नक 'अ'
- 13- अद्यत व्यय का विवरण पत्र अनुलग्नक 'ब'
- 14- ऋण आउटस्टैण्डिंग विवरण पत्र, अनुलग्नक 'स'(संशोधित)
- 15- अंशपूर्ती का विवरण पत्र-अनुलग्नक 'द'
- 16- अंशपूर्ती अग्रिम का विवरण पत्र-अनुलग्नक 'इ-ए'
- 17- हास्त का विवरण पत्र-एनेकजर 'ई'
- 18- आई0एन0सी0 खाता विवरण पत्र, एनेकजर 'सी 2 '
- 19- प्रत्येक खातों का वैक समाधान विवरण पत्र व वैक बैलेन्स सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
- 20- नकद/पोस्टेज बैलेन्स का प्रमाण पत्र।
- 21- शाखाओं एवं प्रधान कार्यालय के सामान्य खाते का मंतुलन पत्रक। (Abstract)
- 22- विविध व्यय से सम्बन्धित विवरण पत्र।
- 23- ऋण खातों में दिनांक 30-9-19 व 31-3-20 को व्याज लगाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

मण्डलीय शाखा कार्यालय स्तर से प्र0का0 को भेजे जाने वाले विवरण पत्र।

- 1- Abstract Sheet के साथ समस्त लेन-देन की Advice
- 2- मण्डल की समस्त शाखाओं के मंतुलन पत्र, नाम दर्ज खाता एवं तलापट के साथ वैक समाधान विवरण पत्र।
- 3- मंतुलन पत्र से सम्बन्धित Abstract Sheet ,तलापट के रेंजिट एवं क्रेडिट की संकीर्ण शीट।

मण्डलीय बैठक में संतुलन पत्र तैयार करने सम्बन्धी आवश्यक बिन्दु-

संतुलन पत्र तैयार करने के सम्बन्ध में मण्डलीय टीम द्वारा निम्न कार्यवाही की जानी है-

1. प्रोका० द्वारा उपलब्ध कराई गई **HO General** की शीट में शाखा के खातों का मिलान करते हुए मण्डलीय शाखा से शाखा व अन्तर्मण्डलीय लेन-देन को मिलाते हुए Abstract बनाया जाये।
2. Abstract में **HO General** का जो वैलेन्स आया है उसके अनुसार बाह्य-हाइ खाता एवं वैलेन्सर्शीट बनाया जाये।
3. जो मधेे क्रमांक 1 व 2 पर संवर्भित प्रारूप से अतिरिक्त हैं, उनमें सम्बंधित प्रत्येक प्रविष्टि का मिलान एडवाइस से किया जाये।
4. समस्त प्रकार की कटौतियों के नक्शों की जाँच करना एवं मददार पुष्टक-पुष्टक संकेत प्राप्त करना।
5. वैक समाधान विवरण पत्र की जाँच करना व वैक वार्क, वैलेन्सर्शीट में सही-सही क्षोई गई है, की जाँच करना।
6. शाखा द्वारा किये गये विविध व्ययों का विवरण पूर्ण रूप से तैयार किया जायेगा।
7. परिम्मतियों पर लगाये गये द्वाम का परीक्षण परिपत्र में ऑक्टन तरीं के अनुसार किया जाये।
8. एन०पा००१० सम्बन्धी विवरण पत्र शाखाओं से प्राप्त किये जायें।
9. वैलेन्सर्शीट के दायित्व व सम्पत्ति पक्ष में वैक एण्ट मॉडल्ड एवं OFWM की समान धनराश Contra के रूप में दर्शित की जाये।
10. शाखा में दूसरी शाखाओं के लेन-देन एवं प्रविष्टियों की पुष्टि अवश्य कर ली जाये।
11. सर्पेन्स एकाउण्ट की धनराश की जाँच कर जिन शाखाओं में नथा प्रवास्था है, उसका पूर्ण विवरण संलग्न किया जायेगा।
12. प्रोका०/शाखाओं के मध्य किसे गसे समस्त लेन-देन की advice मिलान पत्रक (Abstract) के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जाये।
13. शाखाओं द्वारा तैयार किये गये प्रारूपों एवं अनुलग्नकों की पुष्टि शाखाओं के ग्रिकार्ड से की जाये।
14. आई०एन०सी० का परीक्षण-शाखा की कुल आई०एन०सी० शाखा के एन०पा००१० से linked हैं। आई०एन०सी० की कुल धनराश, व्याज की आज्ञाटरटेंटिंग में अंकित नथी के से खालिया। इसका मिलान भी कर लिया जायें।
15. लगे हुए क्र० में मूलधन एवं व्याज की फांट की धनराश का परीक्षण इस मूलधन का एन०पा००१० के विवरण पत्र में अंकित मूलधन मिलान किया जाये।
16. लम्बित दायित्व एवं सम्पत्तियों का परीक्षण- विशेष तौर पर कई वर्षों से विवेक गन्ती दायित्व एवं सम्पत्ति,जो निस्तारण योग्य है,का निस्तारण कर दिया जाये।

Abstract तैयार करने सम्बन्धी दिशा-निर्देश

- 1- Abstract फुलरकेप के सादे कागज पर तैयार किया जायेगा जिसे शाखा अंकित व मण्डत स्तरगत दूस के सदस्य द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताधारित किया जायेगा।
- 2- सबंधित 'क्रेडिट' से सम्बन्धित ट्रानजेक्शन का विवरण अंकित किया जायेगा।
- 3- क्र0-1 पर अंकित 'अन्तिम अवशेष' प्रधान कार्यालय द्वारा प्रेषित अवशेष से भिन्न नहीं होगा।
- 4- क्रमांक-3 पर RIT के अन्तर्गत वर्दी चेक/ड्राफट और धनराशि, तिथि एवं संख्या सहित दर्शाइ जायेगा जो शाखा अथवा प्र0का0 के लेजर में आगामी वर्ष में प्राप्त किया गया है। शाखा द्वारा प्रेषित ड्राफट/चेक की पुष्टि प्र0का0 के आगामी वर्ष के Branches General में तथा प्र0का0 द्वारा प्रेषित ड्राफट की पुष्टि शाखा के आगामी वर्ष के जनरल लेजर में प्र0का0 के सामान्य खाते से अवश्य कर ली जाये। RTGS/CBS/NEFT द्वारा प्रेषित धनराशि को RIT के रूप में ग्राहक नहीं किया जायेगा।
- 5- ऐसे ड्राफट/चेक जो शाखा में सम्बन्धित नहीं हैं, अथवा शाखा द्वारा प्रेषित पर्सनल प्र0का0 द्वारा प्रेषित Branches General में शाखा के नाम से नहीं दर्शाये गये हैं, का विवरण, धनराशि, तिथि एवं ड्राफट की संख्या सहित स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना अनिवार्य है। इस प्रकार के चेक/ड्राफट को RIT के अन्तर्गत नहीं दर्शाया जायेगा।
- 6- जनशुल्क लाभांश का प्र0का0 के खाते में स्थानान्तरण, प्र0का0 के नियंत्रणात्मक संदर्भों का नाम एवं धनराशि की सूची सहित किया जायेगा।
- 7- जनता दृश्यटना वीमा से सम्बन्धित, केवल उस धनराशि का लेखा शाखा के अमान्य खाते में किया जायेगा जिसका उल्लेख प्र0का0 द्वारा प्रेषित Branches General में किया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित कर लें कि माह माचे में देव प्रामिद्यम की गई धनराशि जिसका भुगतान माह अप्रैल में हुआ है तो उसकी लेखा प्रविर्द्धित आगामी वर्ष में की जायेगी।
- 8- किसी अन्य शाखा से प्राप्त लोन आउटस्टेपिंग की लेखा प्रविर्द्धित करते समय यह सुनिश्चित कर लें कि उस शाखा द्वारा भी इस्तान्तरित होकर आर्या धनराशि के समान धनराशि अपने Abstract एवं संतुलन पत्र में दर्शाइ गई है।
- 9- क्रमांक- 8 व 9 में अन्यत्र शाखाओं से स्थानान्तरित होकर आये अथवा शाखा से स्थानान्तरित होकर गये कर्मचारियों/अधिकारियों के देवों का लेखा पर्सी समय, कर्मचारी का नाम, पद, शाखा(जहाँ से आया है अथवा गया है) एवं मण्डल का उल्लेख प्रत्येक दशा में किया जायेगा। इसके अतिरिक्त यह भी पुष्टि कर लें कि दूसरी शाखाओं द्वारा भी समान धनराशि की लेखा प्रविष्ट की गई है।
- 10- मृतक/सेवानिवृत्त कर्मचारियों में सम्बन्धित पावना का रामबोजन उनके देवों में करने हेतु प्र0का0 से पटवाइस प्राप्त होने के उपरान्त ही किया जायेगा। अत्य किसी भी दशा में इनके पावना का हस्तान्तरण प्र0का0 को नहीं किया जायेगा।
- 11- लोन पटवाइस, जो प्र0का0 के सामान्य खाते से प्र0का0 द्वारा इस्तान्तरित किया जायेगा, का योग किसी भी दशा में संतुलन पत्र में दर्शित लोन पटवाइस(शुद्धकरण वितरण, बैंक एण्ड सर्विसर्डी, ओ0एफ0डब्ल्यू0एम0 सर्विसर्डी तथा एन0वी0र्गी0एफ0डी0र्गी0) के द्वेष से भिन्न नहीं होगा।
- 12- शाखा में प्रतिनियुक्त पर कार्यरत कर्मचारी/आर्यकारी के देव में की गई दर्शाइ धनराशि, जो प्र0का0 को transfer की जायेगा, का मध्यार/माहवार विवरण पृष्ठक से संलग्न किया जायेगा। इन कटौतियों का विवरण abstract पर भी अलग से अंकित किया जायेगा। किसी भी दशा में बैंक कर्मियों के साथ उवत कटौतियों को गिरिश की जायेगा। विगा विवरण पत्र/पटवाइस कोई भी धनराशि प्र0का0 को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

BRANCH-----

DISTRICT-----

ABSTRACT-----

Particulars	Dr.	Cr.
1. Closing Balance as per Head Office Ledger		
2. Loan Advanced (Including Back end OFWM Subsidy NBCEDC)		
3. Remittances in Transit (R.I.T.)		
4. Amount Draft sent by branch but not received at H.O. (Enclose Detail)		
5. Amount Draft sent by H.O. but not received at branch (Enclose Detail)		
6. Amount Draft recd by branch but not posted in H.O. (Enclose Detail)		
7. Amount Draft recd by HO but not posted in branch (Enclose Detail)		
8. Forfeited Dividend(Enclose Detail)		
9. H.O.Reimbursement		
10. InterBranch Region Transaction (Enclose Detail) Cr.		
11. InterBranch Region Transaction (Enclose Detail) Dr.		

12. (i) Nominal Fee

(ii) Borrowing Cost

(iii) Leave Salary & Pension contribution (Deputation Staff)

(iv) EPF,GPF,GSIS Etc(Deputation Staff)

(v) EPF (Bank Staff) Regular/voluntary

(vi) GSIS (Bank Staff)

(vii) FWF (Bank Staff)

(viii) EPF Loan (Bank Staff)

(ix) Motor Cycle Loan (Bank)

(x) Motor Cycle Loan (NABARD)

(xi) Motor Car Loan (Bank)

(xii) Moped Loan (Bank)

(xiii) House Loan (Ist-Hnd - Repair Loan)

(xiv) Consumer Loan

(xv) Employee's Security

TOTAL

Closing Balance as per branch General

TOTAL

H.O. Loan A/c(Opening Balance)-----

Add-- Loan Advanced during the Year-----

TOTAL--- H.O. Loan A/c(Closing Balance)-----

Signature

1-

2-

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

प्रधान कार्यालय एवं शाखाओं के आपसी लेन-देन सम्बन्धी विवरण-पत्र

वर्ष 2019-20 (प्रारुप)

अ- अपने मण्डल की शाखाओं से लेन-देन-

क्र०	शाखा सं०	सम्बन्धित शाखा का नाम	कर्मचारी का नाम एवं पद/ मद का विवरण	शाखा से प्राप्त धनराशि	शाखा को हस्तांतरित धनराशि
1	2	3	4	5	6

व- अन्य मण्डल की शाखाओं से लेन-देन-

क्र०	शाखा	सम्बन्धित शाखा का नाम	कर्मचारी का नाम एवं पद/ (मण्डल सहित)	शाखा से प्राप्त धनराशि	शाखा को हस्तांतरित धनराशि
सं०					
1	2	3	4	5	6

म- प्रधान कार्यालय से लेन-देन-(झाफ्ट के अतिरिक्त)

क्र0	शाखा	कर्मचारी का नाम एवं पद/ सं0	प्र0 का0 से प्राप्त	प्र0 का0 को हस्तांतरित धनराशि
		मद का विवरण		धनराशि
1	2	3	4	5

परिपत्र में उल्लिखित विषयों से सम्बन्धित मुख्यालय द्वारा निर्गत परिपत्रों का संदर्भ

1- नवान लेखा पद्धति से सम्बन्धित

(अ)	सी-112	दि 0 10.10.05	(ल)	सी-118	दि 0 16.09.06
(ब)	सी-191	" 29.12.05	(ब)	सी-69836	दि 0 03.11.06
(स)	सी-264	" 17.03.06	(स)	सी-202	दि 0 31.01.07
(द)	सी-270	" 22.03.06	(श)	सी-206	दि 0 07.02.07
(य)	सी-07	" 13.04.06	(ट)	सी-230	दि 0 21.03.07
(र)	सी-109	,, 26.09.06			

2- एन0पा0पा0 से सम्बन्धित :-

3- ब्रह्म मार्फी योजना :-

4- अनुदान से सम्बन्धित

- (अ) आनफार्म वाटर मैनेजमेण्ट योजना सी-127/परि0-2/02-03 दि 0: 4-9-02
 (ब) वैक एण्ड सर्विसी सी-209/क्रण/96-97 दि 0: 22-11-96

5- लाभांश से सम्बन्धित-

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| (अ) अममायोजित लाभांश | सी-249/लेखा/01-02 दि 0: 2-3-02 |
| (ब) लाभांश | सी-66/लेखा/13-14 दि 0: 31-01-14 |

6- अन्य विषयों से सम्बन्धित-

(अ) रेमिटेन्स	सी- 18/लेख /13-14	दि 0: 11-07-13
(ब) जनता दुर्घटना वामा	सी- 27/लेख /13-14	दि 0: 16-09-13
(स) कर्मचारी भविष्यनिधि	सी-213/ग्रोसोवामा/02-03	दि 0: 21-01-03
(द) डेढ रसाक पर हृष्म	सी-119/भ0नि0नि0/16-17	दि 0: 08-03-17
(य) उपभोक्ता क्रण	सी-83/लेखा/18-19	दि 0: 08-01-19
(र) व्याज दर में ग्रिवेट	सी-109/लेखा/14-15	दि 0: 02-03-15
(ल) कालातीत चेक	सी- 126/लेखा/09-10	दि 0: 08-02-10
(ब) त्यौहार अग्रिम	सी- 78/लेखा/10-11	दि 0: 01-11-10
(भ) गेहूँ अग्रिम	-	-
(स) भवन क्रण	सी- 107/स्था0/15-16	दि 0: 02-03-15
(ह) वाहन क्रण	सी- 108/स्था0/15-16	दि 0: 02-03-15

Uttar Pradesh Sahkari Gram Vikas Bank Ltd HO, Lucknow

Letter no.

/Lekha/2019-20

Dated: 31.03.2020

Dy Gen. Manager,
Uttar Pradesh Sahkari Gram Vikas Bank Ltd,
Head Office, Lucknow.

We beg to advice having Credit to HO General Account with
Rs.....on account of amount transferred by branch
as on 31-03-2020.

S.N.	Particulars	Amount
1	Borrowing Cost	Rs
2	Nominal Fee	Rs
3	Employee's Securities	Rs
4	Employee's Provident Fund(Regular)	Rs
5	Employee's Provident Fund(Voluntary)	Rs
6	Employee's Provident Fund Loan	Rs
7	Group Saving Linked Insurance Plan	Rs
8	Employee's Welfare Fund	Rs
9	Motor Cycle Loan	Rs
9	Motore Cycle Loan(NABARD)	Rs
10	Moped Loan	Rs
11	Car Loan	Rs
12	Consumer Loan	Rs
13	House Loan/Repair/Extension	Rs
14	Leave Salary & Pensionary Contribution	Rs
15		Rs
16		Rs
17		Rs
18	Total	Rs

Yours' faithfully,

Branch Manager
Branch/District-

Uttar Pradesh Sahkari Gram Vikas Bank Ltd HO, Lucknow

Letter no. /Lekha/2019-20 Dated:31.03.2020

Dy Gen Manager,
Uttar Pradesh Sahkari Gram Vikas Bank Ltd.,
Head Office, Lucknow

Dear Sir,

We beg to advice having debited to HO General Account with the Branch with Rs.....on account of Loan Advance during the year(01-04-2019- to 31-03-2020) as per Loan Advance Register and credited to HO Loan Account as on 31-03-2020.

Yours' faithfully,

Branch Manager
Branch/District-

Uttar Pradesh Sahkari Gram Vikas Bank Ltd HO, Lucknow

Letter no. /Lekha/2019-20 dated: 31.03.2020

Dy Gen Manager,
Uttar Pradesh Sahkari Gram Vikas Bank Ltd
Head Office, Lucknow

Dear Sir,

We certify that the balances of HO General Account and Loan Account at the close of the Business as on 31-03-2020 are as follows:-

- 1- H.O.GeneralAccount.....
- 2- H.O.LoanAccount.....

Yours' faithfully,

Branch Manager
Branch/District-